तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	डा. लक्ष्मणसिंह राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 134 / 2017	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. लक्ष्मणसिंह राठौड़ पता डी/29, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.07.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत गड़ा (शेरगढ) में संचालित उचित मूल्य की दूकान क्रमांक–1 का संचालन किस जगह हो रहा है तथा डीलर आवंटन के समय आवेदन पत्र में कहां का पता दिया गया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 307 दिनांक 02.08.17 प्रेषित की गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में जाहिर किया कि जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर से बिन्दु सं.–4 में चाही गई सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिससे जानबूझकर अनदेखा किया गया है तथा बिन्दु सं. –5 में लोक सूचना अधिकारी ने लिखा है कि एक संख्या पर एक ही राशन कार्ड धारक को जारी किया गया सकता है, जबकि उक्त राशन दूकान से एक ही संख्या के राशन कार्ड 4–4 या 5–5 जारी किए गए और राशन उठाया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को बिन्दु संख्या–4 से संबंधित सूचना में बतलाया कि जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) 2013 में नवसृजित है एवं विभागीय नियमानुसार पिछले एक वर्ष का रिकॉर्ड संधारित होता है जो उपलब्ध कराया जा सकता है तथा बिन्दु संख्या–5 से संबंधित सूचना में बतलाया कि एक ही राशन कार्ड बनाये जा सकते है। चूंकि बिन्दु सं. 4 से संबंधित सूचना 2008 से 2012 तक की है जो एक वर्ष से अधिक समय पहले की है तथा रिकॉर्ड संधारण एक वर्ष तक रखने के नियम है। अतः मेरे विचार से लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना प्रेषित की गई वो अपूर्ण नहीं मानी जा सकती अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	